



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 2011/पौष 22, 1932

No. 13]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 2011/PAUSA 22, 1932

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

शुद्धि-पत्र

CORRIGENDUM

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2011

New Delhi, the 10th January, 2011

सा.का.नि. 14(अ).—केन्द्रीय सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 24 फरवरी, 2010 की सं. सा.का.नि. 99(अ) द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में पृष्ठ संख्या 1 से 5 पर प्रकाशित अधिसूचना के पृष्ठ 1, पंक्ति 10 पर "2009" को "2010" पढ़ा जाए।

G.S.R. 14(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide number G.S.R. 99(E), dated the 24th February, 2010, published at pages 1 to 5 in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, at page 3, line 12, for "2009", read "2010".

[फा. सं. पी-19012/1/2002-विपणन (आर)]

[F. No. P-19012/1/2002-Mkt. (R)]

अपूर्व चन्द्रा, संयुक्त सचिव

APURVA CHANDRA, Jt. Secy.